न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 32 / 2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

कपिल देव पुत्र राकेश कुमार जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1. राकेश कुमार पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. अनिता पुत्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री नरेश मण्डा वकील वादीगण
2— श्री कालु गुर्जर — वकील प्रति सं. 1 व 2
3— तहसीलदार राजस्व संगरिया— राज—पैरोकार प्रति.संख्या 3

निर्णय दिनांक :— 9.7.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी व प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रति सं. 1 राकेश कुमार पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के नाम से चक 14 बीजीपी जमाबंदी सं. 2071—74 जमाबंदी 2078 के खाता सं. 143 / 102 में 253 / 525 हिस्सा अर्थात 0.759है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि हिंदू संयुक्त परिवार की साझा कृषि भूमि है, जिसमें वादी का हक व हिस्सा जन्म से निहित है। वादी के एक बहिन है। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के दो जायज व कानूनी वारिसान है। प्रतिवादी सं. 2 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। प्रतिवादीया सं. 2 अपने पास कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रखना चाहती है। इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 के पास भी अन्य चक 15 बीजीपी हिस्सा दर्ज है। वादी अब तक 14 बीजीपी के खाता सं. 143 / 102 में दर्ज 0.759है. पर निर्विवाद रूप से काश्त करता चला आ रहा है। जिसको घोषित करवाने का वादी अधिकारी एवं दावेदार है। वादी मौका पर वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार ही काबिज है। कब्जाकाश्त बाबत किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। लेकिन राजस्व रिर्का मे हिस्सा घोषित न होने के कारण व वादी के पिता के नाम होने से परिवार में असंतोष बना रहेगा खातेदारी अधिकारों पर बुरा असर पड़ता है व रकम राज वाटरमेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाइयां आती है। प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे लेकिन अंत में पिछले सप्ताह वादी की बात मानने से कतई तौर पर इनकार हो गए। बस यही वाद कारण है। वाद कृषि भूमि के घोषणा व हक त्याग का है जो [illegible] न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है व अन्दर मियाद है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार [illegible] है।

लिहाजा वाद वादी पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात [illegible] वादी निम्न प्र[illegible] डिग्री फरमाया जावे कि वादी को चक 14 बीजीपी जमाबंदी सं. 2[illegible] खाता सं 143 / 102 में 253 / 525 हिस्सा अर्थात 0.759है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 13:25:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की आरे से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के बीच राजीनामा पेश हुआ, जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी कपिल देव ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ जमाबंदी चक 14 बीजीपी खाता सं. 143/102 व चित्रप्रति विरास्तन नामान्तरण व दस्बरदारी चक 14 बीजीपी प्र प्रदर्श करवाई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रति सं. 1 राकेश कुमार पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के नाम से चक 14 बीजीपी जमाबंदी सं. 2071–74 जमाबंदी 2078 के खाता सं. 143/102 में नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। उक्त दर्ज कृषि भूमि हमारी जद्दी जायदाद है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादीगण 1 व 2 के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। तथा वादी व प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रति सं. 1 राकेश कुमार पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के नाम से चक 14 बीजीपी जमाबंदी सं. 2071–74 जमाबंदी 2078 के खाता सं. 143/102 में नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता व प्रतिवादी सं. वादी की बहिन है। प्रतिवादी सं. 2 अनिता ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि वादी को चक 14 बीजीपी जमाबंदी सं. 2071–74 जमाबंदी 2078 के खा[illegible] हिस्सा अर्थात 0.759है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, प्रतिवा[illegible] 1 [illegible] नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार [illegible] कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन [illegible]

निर्णय आज दिनांक 9.7.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 13:25:16 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए
प्रकरण संख्या:– 32/2024

कपिल देव पुत्र राकेश कुमार जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. राकेश कुमार पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. अनिता पुत्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कालू गुर्जर वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी को चक 14 बीजीपी जमाबंदी सं. 2071–74 जमाबंदी 2078 के खाता सं. 143/102 में 253/525 हिस्सा अर्थात 0.759है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज X नल X मुब्लिक X निल X बाबत X निल X खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक X अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9.7.2024 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 13:25:16 IST
Reason: SelfAttested